जिला सहकारी बैंक लि0, मथुरा

पत्रांकः2017-20 /ब्याज दरें/लेखा अनु0/2020-21 दिनांकः 31/07/2020

समस्त शाखा प्रबन्धक
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि0,
जनपद मथुरा एवं हाथरस (तहसील सादाबाद)।

विषय :- **जमा राशियों पर ब्याज दरें परिवर्तन विषयक**

इस कार्यालय के पत्रांक 6615-19/ब्याज दरें/लेखा अनु0/2019-20 दिनांक 20/02/2020 द्वारा संसूचित ब्याज दरों को मुद्रा बाजार की स्थिति तथा भारतीय स्टेट बैंक के साथ-2 अन्य बैंकों द्वारा निक्षेपों पर ब्याज दरों में किये गये अद्यतन परिवर्तनो से उत्पन्न प्रतिस्प्रर्दी स्थितियों एवं बैंक के संसाधनों पर प्राप्त रिटर्न को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01/08/2020 से मियादी ब्याजदरों में परिवर्तन किया गया है। दिनांक 01/08/2020 अथवा उसके पश्चात जमा अथवा नवीनीकृत होने वाली सावधि निक्षेपों की धनराशि पर निम्नानुसार ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं -

क्र. सं.	खाते का प्रकार	ब्याज दरें प्रतिशत वार्षिक 01/08/2020 से संशोधित ब्याज दरें	
		सामान्य नागरिकों के लिए	वरिष्ठ नागरिकों के लिए
1.	सावधि निक्षेप		
	क- 46 दिन से 180 दिन तक	5.25	---
	ख- 181 दिन से 364 दिन तक	5.50	---
	ग- 01 वर्ष के लिये	6.00	6.50
	घ- 01 वर्ष से अधिक तथा 02 वर्ष से कम	6.00	6.50
	ड़- 02 वर्ष से अधिक	6.00	6.50

एतद्द्वारा उक्त विषयक पूर्व निर्देशों एवं अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र की ब्याज दरें पत्रावली में सुरक्षित रखें तथा पेन्टर से 3'X 5' के बोर्ड पर उक्त ब्याजदरें लिखवाकर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें, जहॉ से जमाकर्ता का प्रवेश हो, जिससे कि प्रचलित ब्याज दरों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी हो सके। निक्षेप वृद्धि के निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत से भी अधिक पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार एवं ग्राहक सम्पर्क / सेवा में उत्कृष्टता लाने पर विशेष जोर दिया जाय।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. समस्त अनुभाग अधिकारी बैंक एवं प्रभारी डाटा सेन्टर को इस निर्देश के साथ कि बैंकिंग के साफ्टवेयर में तदनुसार परिवर्तन कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त उपमहाप्रबन्धक बैंक।
3. अध्यक्ष महोदय बैंक।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी